International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 200-203

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(10): 200-203
www.allresearchjournal.com
Received: 19-07-2020
Accepted: 17-08-2020

डॉ. प्रशान्त कुमार प्रसून
अंशकालिक सहायक प्राध्यापक,
धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, कामेश्वर सिंह दरभंगा
संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा,
बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. प्रशान्त कुमार प्रसून
अंशकालिक सहायक प्राध्यापक,
धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, कामेश्वर सिंह दरभंगा
संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा,
बिहार, भारत

सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में आरक्षण की भूमिका एवं महत्त्व

डॉ. प्रशान्त कुमार प्रसून

सारांश
इस आलेख की प्रस्तुती देश के मूल नागरिकों को आरक्षण के विषय–वस्तु के बारे में समय–समय पर अवगत कराया गया है। साथ–ही नागरिकों के नैतिक और मौलिक अधिकारों को भी सम्पुष्ट करने का प्रसास किया गया है। सामाजिक स्वरूप को आरक्षण के बलबूते उत्कृष्ट किया जाये एवं लोकहित में प्रयोग में लाया जाए। साथ–ही राज्य का संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल दिया गया है। जिससे देश की अखण्डता एवं अनेकता में एकता बनी रही।

प्रस्तावनाः
भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, पर वास्तविकता यह है कि दलित, अतिपिछड़ा एवं स्त्री को वह सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। उन्हें सामन्ती विचारधारा वाले व्यक्ति के द्वारा निजी स्वार्थ के लिए परेशान किया जाता रहा है तथा उनके अस्तित्व का दुरूपयोग किया जाता है। दलित, अतिपिछड़ो एवं महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार में पिछले कुछ दशकों से निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न विशेषतः सार्वजनिक एवं कार्य करने के स्थल पर बढ़ता रहा है। दलित पिछड़ो एवं महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में विशेष स्थान नहीं मिल पाया है। अक्सर इन अधिकारों का उल्लंघन ही होता आया है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दलित, पिछड़ो एवं महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। सरकार ने इस दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्वतंत्रता में अब तक दलित, पिछड़ा एवं महिलाओं की उन्नति के लिए और समुचित न्याय दिलाने हेतु तरह–तरह के कानून सरकार ने बनाए हैं। पर इन सबके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि दलित, पिछड़ा एवं महिला अधिकांशतः उन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पाया है। इसके पीछे जाने–अनजाने अनेक कारण हैं। जैसे– शिक्षा की कमी, रूढ़िवादिता आदि। शिक्षा की कमी होने के कारण दलित, पिछड़े व महिलाएं, सरकार व समाज द्वारा उनके हित के लिए बनाए गए कानूनों को पूर्णतः नहीं समझ पाते हैं और यदि आसपास से कुछ जानकारी मिल भी जाती हैं तो सामन्ती समाज के कट्टरपंथी रूख के कारण दलित, पिछड़े व महिलाएं आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। जो पिछड़े, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह लाभान्वित भी होते हैं, परन्तु आगे आने वाले इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या नगण्य है। इसलिए समाज के जागरूक वर्ग का यह दायित्व है कि वह दलित, पिछड़ा एवं महिलाओं के इस वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक एवं सजग बनाएँ।

दलित, पिछड़ो, अतिपिछड़ो एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सर्वप्रथम भूमिका आता है– भारतीय संविधान का भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की गारन्टी दी गई। कानून की नजर में सभी बराबर हैं तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्म–स्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जा सकता। दलित, पिछड़ो एवं महिलाओं को सशक्त बनाना आज सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनकी कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है ताकि वे जान सके कि कानून ने उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान की है तथा कानून के द्वारा वे कौन–कौन से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकते हैं?

संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है वहीं दलित एवं पिछड़ो को आरक्षित कर संविान में बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है। समय–समय पर और भी कानून बनाए गए है जिससे कानून दृष्टि से दलित, पिछड़ों एवं महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।

अतः दलित, पिछड़ों एवं महिलाओं को यह सब जानने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। ये सभी शिक्षित हों तभी अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं।

मानव अधिकारों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। संसार के सारे कानून, नियम, संविधान, संस्कार अथवा परम्पराएँ मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास के लिए एवं उनके हनन को रोकने के लिए ही बनाये गये हैं। प्राचीन समय में राजा का प्रथम कर्त्तव्य होता था कि वह अपनी प्रजा हो हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें एवं उनकी सुख–सुविधाओं को ध्यान रखें। आदर्श नागरिकता, प्रजातंत्र और मानववाद एवं राष्ट्रीय एकता, अन्तराष्ट्रीय भावना जैसे मूल्य समाज एवं राजनीति दोनों का स्पर्श करते हैं। व्यक्ति समाज की अन्यतम इकाई हैं। व्यक्तियों से ही समाज का और समाज से ही व्यक्तियों का अस्तित्व है। अतः व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से ही किसी भी देश, राज्य या नगर का प्रशासन तंत्र एवं उसकी समस्त शासकीय एवं अशासकीय व्यवस्था की गयी है।

कानूनी अधिकार

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्त्तमान में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।''

राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएँ प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही 'अधिकार' है।

अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता अथवा साकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके।

भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार ''अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम अथवा रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो।'' अधिकार के निम्नलिखित लक्षण कहे जा सकते हैं :–

सामाजिक स्वरूप

अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अधिकार तो राज्य सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान की गई स्वतंत्रता एवं सुविधा का नाम है और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। शून्य में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते, रॉबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को निर्जन टापू में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते हैं।

कल्याणकारी स्वरूप

अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रताएँ और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक एवं सहायक हों। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना अथवा आत्महत्या अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

लोकहित में प्रयोग

व्यक्ति के अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं सम्पूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए – जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ–साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों अथवा संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुँचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

राज्य का संरक्षण

अधिकार का एक आवश्यक लक्ष्य यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे, उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है।

सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापकता

अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस सम्बन्ध में जाति, धर्म, लिंग तथा वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ''अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है।''

भारतीय संविधान एवं महिलाएँ

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार मिले हैं। उनके लिए शिक्षा, व्यवस्था, राजनीति, समाजसेवा आदि सभी क्षेत्र खुले हुए हैं।

भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, पर वास्तविकता यह है कि स्त्री को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। उन्हें निजी स्वार्थ के लिए परेशान किया जाता रहा है तथा उनके अस्तित्व का दुरूपयोग किया जाता है। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार में पिछले कुछ दशकों से निरंतर वृद्धि होती जा रही है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न विशेषतः सार्वजनिक एवं कार्य करने के स्थल पर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में विशेष स्थान नहीं मिल पाया है। अक्सर इन अधिकारों का उल्लंघन ही होता आया है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। सरकार ने इस दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्वतंत्रता में अब तक महिलाओं की उन्नति के लिए और समुचित न्याय दिलाने हेतु तरह–तरह के कानून सरकार ने बनाए हैं। पर इन सबके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि महिला वर्ग अधिकांशतः उन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पाया है। इनके पीछे अनेक कारण हैं जैसे– शिक्षा की कमी, रूढ़िवादिता आदि। शिक्षा की कमी होने के कारण महिलाएँ सरकार व समाज द्वारा उनके हित के लिए बनाए गए कानूनों की पूर्णतः नहीं जान पाती हैं और यदि

आसपास से कुछ जानकारी मिल भी जाती है तो परिवार एवं समाज के कट्टरपंथी रूख के कारण महिलाएँ आगे कदम नहीं बढ़ा पाती हैं। जो महिलाएँ हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह लाभान्वित भी होती हैं, परन्तु आगे आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। इसलिए समाज के जागरूक वर्ग का यह दायित्व है कि वह महिलाओं के इस वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक एवं सजग बनाएँ।

महिलाओं को सशक्त बनाना आज सबसे महत्त्वूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है ताकि वे जान सकें कि कानून ने उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान की है तथा कानून के द्वारा वे कौन–कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती है? अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती हैं?

संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है, समय–समय पर और भी कानून बनाए गए हैं जिससे कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। अतः महिलाओं को यह सब जानने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वे शिक्षित हों तभी अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर एक आदर्श महिला बन सकती है।

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक न्याय दो प्रकार से लागू किया गया है साधारणतः अधिकार दो प्रकार के होते हैं :–

1. **नैतिक अधिकार ;डवतंस त्पहीजेद्ध :** नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारों के द्वारा इन्हें अधिकार से रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत अथवा आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृति किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं है।
2. **कानूनी अधिकार ;स्मंहंस त्पहीजेद्ध** ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने से इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लीकॉक ने इन अधिकारों को परिभाषा करते हुए कहा है कि ''कानूनी अधिकार वे देश की सभी महिलाओं और पुरूषों को कुछ अधिकार प्रदान कर उन्हें नागरिकों के मूल अधिकार कहा जाता है।'' सरकार को कुछ सिद्धान्तों को लागू करने के निर्देश देकर इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व कहा जाता है। नागरिक अधिकार बहुत ही व्यापक है। विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त होते हैं तथा रज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं।

महिला आरक्षण विधेयक

राज्य सभा ने महिला आरक्षण विधेयक को बहुमत से पारित कर दिए जाने के बाद यह उम्मीद जगी है कि इसे शीघ्र ही कानूनी रूप से दिया जाएगा। इसे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। हालांकि अभी इसे लोकसभा एवं आधे से अधिक राज्यों द्वारा पारित किया जाना बॉकी है, फिर भी लोकसभा में बार–बार इस प्रस्ताव के गिर जाने से जो नाकारात्मक सोच दबने लगी थी वह फिर से ऊर्जावान हो गई है।

इस विधेयक के अनुसार एक – तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में लागू होगा। सीटें रोटेशन के आधार पर आरक्षित की जाएँगी और आरक्षण की यह व्यवस्था 05 सालों के लिए होगी। इससे विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।

दुनिया के कई देशों में महिला आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है या विधेयक के द्वारा यह प्रावधान किया गया है, जबकि कई देशों में राजनीतिक दलों के स्तर पर ही इसे लागू किया गया है।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास

वर्ष 1974ई0– संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में पहली बार उठाया गया था। राजनीतिक इकाईयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया।

1993ई0– संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन के तहत पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई।

12 सितम्बर 1996ई0 महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार एच0डी0 देवगौड़ा सरकार ने 81 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। इसके बाद ही देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11 वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया।

विधेयक को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। इस समिति ने नौ दिसम्बर 1996 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट पेश की।

26 जून 1998ई0 अटल बिहार वाजपेयी के नेतृत्त्व वाली छक। की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को 12 वीं लोकसभा में 84 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया, लेकिन पास नहीं हो सका।

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली छक। सरकार अल्पमत में आ जाने से गिर गई और 12 वीं लोक सभा भंग हो गई।

22 नवम्बर 1999ई0– दोबारा सत्ता में लौटी छक। सरकार ने 13 वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को एक बार फिर पेश किया, लेकिन इस बार भी सरकार इस पर सभी को सहमत नहीं कर सकी।

वर्ष 2002ई0 और 2003ई0 में भी बीजेपी नेतृत्व वाली छक। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, लेकिन कॉग्रेस और वामदलों के समर्थन के आवश्वासन के बावजूद सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी।

मई 2004ई0– कॉग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ;न्ब्।द्ध ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के इरादे का ऐलान किया।

6 मई 2008ई0 महिला आरक्षण बिल राज्य सभा में पेश हुआ और उसे कानून एवं न्याय से सम्बन्धित स्थायी समिति के पास भेजा गया।

17 दिसम्बर 2009ई0 स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और समाजवादी पार्टी, जेडीयू तथा आरजेडी के विरोध के बीच महिला आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।

22 फरवरी 2010ई0 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

25 फरवरी 2010ई0 केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने महिला आरक्षण विधेयक का अनुमोदन दिया।

08 मार्च 2010ई0 महिला आरक्षण बिल को राज्य सभा के पटल पर रखा गया, लेकिन सदन में हंगामें और एसपी और राजद द्वारा न्क। के समर्थन वापस लेने की धमकी की वजह से उस पर मतदान नहीं हो सका।

09 मार्च 2010ई0– कॉग्रेस ने बीजेपी, जेडीयू और वामपंथी दलों के सहारे राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित कराया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यघपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पुरी तरह बदल गए हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है। महिलाएँ अब अपनी पेशेवर जिंदगी (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) को लेकर बहुत अधिक जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से सम्बन्धित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके।

निष्कर्षः

वर्त्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो की जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्त्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है – '' किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहॉ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहॉ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारी+शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियॉ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भॉति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।''

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. महिलाओं के कानूनी एवं सामाजिक अधिकार, रमा शर्मा, एम0 के0 मिश्रा।
2. महिला आरक्षण बिल का इतिहास, इन्टरनेट के द्वारा विवरणी प्रस्तुती।
3. डॉ0 राजकुमार, नारी के बदले आयाम अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005ई0
4. भारतीय संविधान, अनु0– 14,15,16,19,21,23,39
5. कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशिक्तकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।
6. करण बहादुर सिंह, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2006
7. सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007ई0
8. गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2006ई0
9. राम अहूजा (1996), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।
10. डॉ0 राजनारायण, स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन।
11. अखण्ड ज्योति।